

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तापित आदिवासियों के मसलों के समाधान में धीमी प्रगति पर जनजाति आयोग जताई नाराजगी

Posted On: 16 MAY 2017 6:27PM by PIB Delhi

राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के विस्तापित आदिवासियों के विभिन्न मसलों के समाधान में धीमी प्रगति पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नाराजगी प्रकट की है। आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई आयोग की बैठक ने ओडिशा के प्रमुख राजस्व सचिव, सुंदरगढ के जिला कलेक्टर एवं आउरकेला स्टील प्लांट के अधिकारियों को निर्देशित किया कि के निर्देशों की पालना एक महीने में कर आयोग को सूचित करें। यदि आयोग कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुआ तो ओडिशा के मुख्य सचिव, सेल के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए जायेंगे।

आयोग ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे संयुक्त सिचव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सिमित का गठन करे जो इस विषय की जांच करे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि किसी सहकारी सिमित अथवा किसी निजी संस्था को उपयोग के लिए नहीं दी गई और यदि ऐसा किया गया तो क्या इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमित ली गई। साथ ही मंत्रालय यह भी जांच करे कि संयंत्र के पास कितनी भूमि उपयोग में नहीं आ रही है और उस भूमि को क्यों नहीं आदिवासियों को वापस लौटा दी जाये।

आयोग ने सुंदरगढ़ के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे संयंत्र द़वारा राज्य सरकार को लौटाई गई भूमि की वस्तुस्थित पर एक रिपोर्ट तैयार करे और आयोग को प्रस्तुत करें। आयोग ने विस्थापितों के लिए आवंटित की गई आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि पट्टे जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई एवं आदिवासी विस्थापितों को तुरंत पटटे जारी करने के निर्देश दिए।

आयोग ने जिला कलेक्टर एवं संयंत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1993 में रोजगार देने के लिए जिन 1098 लोगों को चिहिन्त किया गया था उनमें से शेष रहे लोगों को अविलम्ब संयंत्र में रोजगार दिया जाये। साथ ही जिन लोगों को रोजगार दिया गया उनका सत्यापन किया जाये कि क्या वास्तवित विस्तापितों को ही रोजगार दिया गया है। साथ ही विस्थापितों के लिए बसाई गई कॉलोनियों में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं एक माह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि आदिवासियों की भूमि पर किसी व्यक्ति या संस्था का कोई अतिक्रमण है, तो उसे तुरंत हटाया जाये।

समीर/जितेन्द्र/सुमन

(Release ID: 1489982) Visitor Counter: 6









in